न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री राजन विशाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2021 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल निवासी ए–88, रवीन्द्र नगर, एयर पोर्ट रोड, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान ।

अपीलार्थिया

बनाम

1. रामवतार अग्रवाल पुत्र श्री मूलचन्द अग्रवाल
2. श्रीमती कमलेश अग्रवाल पत्नी श्री रामवतार अग्रवाल
3. अनिल अग्रवाल (प्रोफार्मा प्रत्यर्थी) पुत्र श्री रामवतार अग्रवाल

   निवासी ए–1, रोहिणी नगर, 7 नम्बर बस स्टेण्ड के पास, जगतपुरा, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2018 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 10/2018 व उनवानी रामवतार बनाम रेखा अग्रवाल

उपस्थितः–

1. अपीलार्थिया स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 स्वय उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 29.03.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ डी बी सिविल रिट पीटीशन 16743/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 के निर्देशानुसार अपीलार्थिया ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 10/2017 ब उनवानी रामवतार बनाम रेखा अग्रवाल में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2018 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 स्वयं उपस्थित हैं। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

ला मजिस्ट्रेट
लक्टर) जयपुर

अपीलार्थिया ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 3 की पत्नी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पुत्रवधु है। उभय पक्ष के मध्य पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 एवं घरेलू हिंसा का न्यायालय एम एम 12 जयपुर मेट्रो में केस लम्बित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थिया को मकान से निकालने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ साजिश कर अधीनस्थ अधिकरण में अपीलार्थिया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र संख्या 10/2017 प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 के पते एक ही है । अर्थात एक ही जगह निवास करते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने साजिश के तहत सिर्फ अपीलार्थिया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी संख्या 3 से दुरभि संधी रच कर प्रस्तुत किया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अन्य विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः पुत्र सुनिल एवं पुत्रियां लक्ष्मी, कविता, अनिता व सुनीता व पूनम है जो सभी शादीशुदा एवं जीवित है, उनको प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मात्र अपीलार्थिया को प्रताड़ित करने व उसे घर से बाहर निकालने के उद्देश्य से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः सभी बच्चों का पक्षकार न बना कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह मात्र अपीलार्थिया को प्रताड़ित कर मकान खाली कराना चाहते है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थिया को मकान खाली कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को कब्जा सौपने का आदेश दिया है, अन्य कोई भरण पोषण का आदेश पारित नहीं किया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत पुत्र वधु के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 2 (ए) व 2 (जी) में साफ साफ लिखा है जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र केवल बच्चों एवं रिश्तेदारों जो कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति के विधिक रुप से वारिस होंगे, सिर्फ उनके खिलाफ ही अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 (1) में यह बिल्कुल साफ–साफ लिखा है कि माता–पिता को सम्मलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, सिर्फ वो ही धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण मे प्रत्यर्थी संख्या 1 दुकान चलाता है एवं उसके द्वारा स्वयं विभिन्न न्यायालयों में प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रतिमाह 8000/–रूपये वेतन पर अपनी दुकान पर कार्य हेतु रखने की बात स्वीकार की है। इतना ही नहीं प्रत्यर्थी 1 के पास वर्तमान में गंगा विहार, राधा विहार, रोहिणी नगर, महेश नगर में मकान एवं जयपुर में कृषि भूमि है । पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंक खातों में काफी बड़ी मात्रा में पैसा जमा है। जिससे साफ जाहिर है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ दुरभि संधि रच कर अथाह सम्पत्ति होते हुये भी मात्र अपीलार्थिया से मकान खाली कराने के उद्धेश्य से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि धारा 4 में वर्णित प्रावधानों के पूर्णतय विरुद्ध है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया के जवाब व लिखित बहस को व अधिनियम की धारा

2 (ए), 2 (जी), 4 एवं 5 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया नजर अन्दाज करते हुए अपने मन माफिक एक तरफा फैसाला अपीलार्थिया के विरूद्ध पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के खिलाफ कोई भी भरण पोषण राशि दिये जाने का आदेश पारित नहीं किया एवं ना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील की गई। जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपना भरण पोषण करने मे पूर्णया सक्षम है। न्यायालय मे भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह कहा कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 को 8000/–रूपये मासिक पर नौकरी पर रखे है। जिससे यह साथ जाहिर है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ना सिर्फ अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, बल्कि अपने पुत्र एवं पुत्रों का भरण पोषण करने में भी सक्षम है । इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 ने आपस मे दुरभि संधि रच कर माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 में वर्णित प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण के नियम 2010 के नियम 5 में वर्णित प्रावधानों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु ग्रहण कर लिया । जबकि नियम 5 मे यह साफ लिखा है कि नियम 5 की उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिकरण अपना समाधान करेगा कि आवेदन पूर्ण है। विरोधी पक्षकार की प्रथम दृष्टया धारा 5 निर्बन्धनों के अनुसार आवेदक का भरण पोषण करने की बाध्यता है। उक्त अनुसार अधीनस्थ अधिकरण को प्रार्थना पत्र सुनवाई ग्रहण करने से पूर्व ही खारिज कर दिया जाना चाहिये था। क्योकि अपीलार्थिया चिल्ड्रन व रिलेटिव की परिभाषा में नहीं आती है। जैसा कि धारा 2 (ए) व 2 (जी) में साफ साफ परिभाषित है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नियम 9 व 10 की पूर्णतया अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील नम्बर 3822 OF 2020 श्रीमती एस विनिथा बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलूरू अरबन डिस्ट्रिक एण्ड अदर्स अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकरण में अधिकारिता नहीं होते हुए भी मात्र अपीलार्थिया से मकान खाली कराने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है एवं अधिनियम में प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। अतः अपील को मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे ।

5. प्रत्यर्थीगण ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में लम्बित केस अपीलार्थिया द्वारा झूंठे व बे बुनियाद आधारों पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उन्हें हैरान व परेशान करने की गरज से लगाये गये है। अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 के विवाह के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थिया व प्रत्यर्थी संख्या 3 को साथ लेकर ए–88, रविन्द्र नगर जगतपुरा जयपुर पर निवास करते रहे थे, किन्तु अपीलार्थिया द्वारा आये दिन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से झगड़ा फसाद करने लगी जिसके

फलस्वरूप अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के साथ मारपीट कर उनको उपरोक्त मकान से बेदखल कर दिया। उक्त मकान में रहते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बल्ली फन्टो को किराये पर दिये जाने का कार्य किया जाता था एवं मकान के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान कर रखी थी। उक्त दोनों कार्यो में प्रयुक्त सामानों को अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को उपरोक्त पते से बेदखल करने के बाद बेचान किया जाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात अपीलार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ ही अत्यधिक झगड़ा फसाद करने लगी जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 3 को भी उपरोक्त निवास से बेदखल कर दिया । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ किसी प्रकार की कोई दुरभि संधि नहीं रची है। जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पांचों पुत्रियां शादीशुदा होकर अपने ससुराल में रह रही है व पुत्र सुनील भी शादीशुदा है। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को घर से निकाल दिये जाने के बाद उपरोक्त दोनों प्रत्यर्थी 1 व 2 दूसरे पुत्र सुनील के मकान में ही निवास कर रहे हैं। प्लाट नम्बर ए–1, रोहिणी नगर, 7 नम्बर बस स्टेण्ड के पास, जगतपुरा जयपुर का पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनील के पक्ष में जारी किया हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 20, 23 व 25 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 उपखण्ड अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का पुत्र है व अपीलार्थिया जो कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की पत्नी है, के विरूद्ध पेश किया गया था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनियम की धारा 2 (ए) व धारा 2 (जी) की मंशा के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) की परिधी में आने के कारण ही प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्र 78 वर्ष होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 वृद्ध व असहाय होने से दुकान चलाने योग्य नहीं है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पास गंगाविहार, ... विहार, रोहिणी नगर, महेश नगर में कोई मकान नही है एवं जयपुर में कोई कृषि भूमि नहीं है। अपीलार्थिया ने मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को घर से निकाल दिये जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गये एवं पुत्र सुनील द्वारा निवास की सुविधा मुहैया करवाई जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पूर्णतया उसी पर आश्रित है एवं दुकान चलाने योग्य न होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 3 ही दुकान पर बैठता है, किन्तु दुकान पर आय नही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अत्यधिक वृद्ध व लाचार है व अपीलार्थिया द्वारा बलपूर्वक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को प्लाट नं. ए–88 रविन्द्र नगर, जगतपुरा, जयपुर से बेदखल करने के कारण आश्रित अवस्था का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 04.07.2018 पारित किया गया है। राजस्थान माता–पिता एवं वरिष्ठ नगारिकों का भरण पोषण के नियम 2010 में वर्णित प्रावधानुसार आक्षेपित आदेश पारित किया हुआ होने के कारण उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में दिनांक 26.04.2004 को प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान राज्य महिला आयोग जयपुर के समक्ष दहेज उत्पीड़न बाबत शिकायत प्रस्तुत की थी। जिसमे दिनाक 03.06.2004 को अपीलार्थिया द्वारा आयोग के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर कोई कार्यवाही न किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं उपरोक्त राजीनामें में अपीलार्थिया द्वारा अंकित किया गया कि उसने गलती से आयोग के समक्ष प्रत्यर्थीगण की शिकायत प्रस्तुत कर दी, जिसे वह वापिस लेना चाहती हे एवं उसी क्रम में दिनांक 15.09.2004 को आयोग के समक्ष अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थीगण से समस्त स्त्रीधन प्राप्त किया एवं अपीलार्थिया द्वारा लिखा गया कि उसमें सारा दहेज का सामान सास ससुर से प्राप्त कर लिया और यह समान लेकर मैं अलग हो रही हूँ। मेरा सास ससुर से कोई वास्ता नही रहेगा। अपीलार्थिया के 5 बैंकों मे बचत खाते है जिसमें से दो बचत खाते यूनियन बैंक जगतपुरा में है, एक इलाहाबाद बैक जगतपुरा, एक बचत खाता राजस्थान मरूधरा बैंक जगतपुरा व एक खाता आई सी आई सी आई बैंक जगतपुरा में है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थिया के पास आय के प्रर्याप्त साधन है एवं उपरोक्त समस्त बैंक खातों में अपीलार्थिया के पास काफी धनराशि है। अपीलार्थिया के पास एक प्लाट संख्या सी–25, रोपाडा की आशा विहार कालोनी में स्थित है जिसका पट्टा पहाड़गंज सोसायटी द्वारा अपीलार्थिया के पक्ष में जारी किया हुआ है। जिस पर 4–5 महीने से निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं अपीलार्थिया के पास प्लाट वाटिका गांव टोंक रोड जयपुर में भी स्थित है इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थिया के पास आय के पर्याप्त साधन है। अपीलार्थिया के पास निवास हेतु भी स्वयं के नाम से भूमि है। पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थिया की अपील को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 के तहत अधीनस्थ अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक को ही अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पुत्रवधु होने से अपील प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डीबी सिविल रिट पीटीशन नं॰ 16743/2018 आदेश दिनांक 03.08.2021 से धारा 16 में अपीलीय अधिकारी के समक्ष 15 दिन में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिये गये है। जिसकी पालना में यह अपील ग्रहण की जाकर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने धारा 4 के अधीन धारा 5 के तहत अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 21, 23, व 25 का अपीलार्थिया संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 3 अनिल कुमार के विरूद्ध अनुतोष चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थिया श्रीमती रेखा अग्रवाल व प्रत्यर्थी श्री अनिल अग्रवाल को विवादित

सम्पत्ति को तुरन्त खाली कर कब्जा प्रार्थी–प्रत्यर्थी 1 व 2 को सम्भलाने के आदेश दिये है, जिसे अपीलार्थिया ने अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थिया का कथन है कि वह अपीलार्थिया की पुत्रवधु है, जो संतान (चिल्ड्रन) की परिभाषा में नहीं आती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 (क) इस प्रकार है–"Children" Includes son, daughter, grandson and grand-daughter but does not include a minor ; अर्थात अधिनियम के तहत सन्तान की परिभाषा में पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मलित है, किन्तु अवयस्क सम्मलित नहीं है। अपीलार्थिया धारा 2 (क) के तहत संतान की परिभाषा में नहीं आती है, परन्तु अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण 1 व 2 की पुत्रवधु है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की पत्नी है जो सास ससुर के प्रति दायित्व निर्वहन करने इन्कार नहीं कर सकती है। धारा 21 में–वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु प्रचार, जानकारी इत्यादि हेतु उपाय दिये गये है। इसलिए धारा 21 के तहत कोई अनुतोष दिया जाना अपेक्षित नहीं है। धारा 23 (1) इस प्रकार है–**Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances–** (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has Transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer or and such transferee refuses of fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई सशर्त अन्तरण नहीं पाया गया है। इसलिए धारा 23 के प्रावधान लागू नहीं होते है। धारा 25–अपराध का संज्ञान (Cognizance of offences) के लिए है। इसलिए धारा 25 के तहत कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थिया व प्रत्यर्थीगण के मध्य पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 एवं घरेलू हिंसा के लिए न्यायालय एम एम 12 जयपुर मैट्रो मे मुकदमें लम्बित है। प्रत्यर्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष का निर्णय सिविल न्यायालय से ही तय होगा। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश सें अपीलार्थिया को विवादित सम्पति से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि अधिनियम की धारा 21, 23 व 25 में ऐसा अनुतोष दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। अपीलार्थिया की

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थीगण 1 व 2 वृद्ध है, इसलिए उनके साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच एवं लडाई झगडा नहीं करने के लिए अपीलार्थिया को पाबन्द किया जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आज दिनांक 29.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/03/22

(सजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर